


**उत्तर प्रदेश विधान मण्डल
की
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति
की
आन्तरिक कार्य-प्रणाली के नियम**



**विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश।**

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

की

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति

की

आन्तरिक कार्य-प्रणाली

के

नियम



(दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक यथा संशोधित)

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

समिति (वित्त) अनुभाग-2

विषय-सूची

<u>क्र0सं0</u>	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ-संख्या</u>
1	प्राक्कथन	क
2	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की आन्तरिक कार्य-प्रणाली के नियम 1-7
3	परिशिष्ट-	
(1)	उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में सदन की समितियों की प्रक्रिया से सम्बन्धित सामान्य नियमों का उद्धरण। 8-15
(2)	उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति से सम्बन्धित नियमों के उद्धरण।	... 16-17
(3)	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1971 से 2017 तक) का विवरण। 18-21
(4)	समिति के सभापतियों की सूची 22-23
(5)	समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों का विवरण	... 24-78

क

प्राक्कथन

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 232-क से लेकर 232-ड में सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति से सम्बन्धित प्राविधानों को अंकित किया गया है। यह समिति विगत कई वर्षों से कार्यरत है, किन्तु वर्ष 1990 के पूर्व इसकी आन्तरिक कार्य प्रणाली के विषय में कोई नियमावली नहीं बनायी जा सकी थी।

समिति ने अपनी बैठक दिनांक 22 मई, 1990 में अपनी आन्तरिक कार्य-प्रणाली के नियमों को अन्तिम रूप दिया था। तदुपरान्त दिनांक 30 मई, 1990 को इस नियमावली पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा का अनुमोदन भी प्राप्त किया गया था।

दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक अद्यावधिक इस नियमावली का मुद्रण एवं प्रकाशन समिति के सदस्यों के उपयोगार्थ किया गया है। इस पुस्तिका में उक्त समिति के गठन तथा कार्य-कलापों से सम्बन्धित समस्त विधिक प्राविधानों को भी समाविष्ट किया गया है। आशा है कि यह पुस्तिका माननीय सदस्यों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

लखनऊ : दिनांक : 28 फरवरी, 2017

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की आन्तरिक कार्य-प्रणाली के नियम

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 232-क से 232-ड के साथ पठित नियम 218(2) के अनुसरण में निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं :--

1-(1) यह नियमावली “उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की आन्तरिक कार्य-प्रणाली नियमावली”, 1990 कहलायेगी।

(2) यह नियमावली, दिनांक 30 मई, 1990 से प्रभावी होगी।

2-इस नियमावली में, जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो :--

*(क) “निगम” का तात्पर्य राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों से है।

(ख) “प्रक्रिया नियमावली” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 से है।

(ग) “महालेखाकार” का तात्पर्य समिति से सम्बद्ध महालेखाकार उत्तर प्रदेश से है।

(घ) “शासन” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन से है।

(ङ) “सभापति” का तात्पर्य समिति के सभापति से है।

(च) “समिति” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति से है।

(छ) अन्य शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये प्रक्रिया नियमावली में अभिप्रेत हों।

3-समिति के सदस्यों को समिति की बैठक की तिथि और समय की सूचना बैठक की तिथि से साधारणतया चौदह दिन पूर्व प्रेषित की जायगी :

किन्तु यदि समिति की बैठक अल्प सूचना पर बुलाई जाय तो उक्त सूचना सदस्यों को टेलेक्स या तार या किसी अन्य त्वरित संचार माध्यम से भी प्रेषित की जायेगी।

संक्षिप्त नाम

परिभाषाएं

समिति की बैठकों की सूचना

* विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना सं0 836/वि0स0/संसदीय/85(स)/2005, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यथासंशोधित।

नियमों का चयन
एवं पुराने
लम्बित मामलों
के निस्तारण की
प्रक्रिया

समिति को दी
जाने वाली
सामग्री

4-(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये गठित समिति की प्रथम बैठक में समिति के समक्ष विगत तीन समितियों द्वारा सम्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उपरोक्त विवरण के अवलोकनोपरान्त, समिति अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे निगमों तथा उक्त निगमों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वाणिज्यिक प्रतिवेदनों में उल्लिखित प्रस्तरों अथवा उक्त निगमों से सम्बन्धित अन्य विषयों का चयन करेगी जिनका परीक्षण करना वह उचित समझे।

इसके अतिरिक्त समिति पुराने लम्बित मामलों को भी निस्तारित कर सकेगी।

(3) उप नियम (2) के अनुसार चयनित निगम अथवा चयनित विषय के अतिरिक्त अन्य निगम तथा उनसे सम्बन्धित नये विषय तब तक नहीं लिये जायेंगे जब तक चयनित निगम या विषय का परीक्षण पूर्ण न हो जाय अथवा जब तक अध्यक्ष विधान सभा की पूर्वानुमति प्राप्त न कर ली जाय।

5-(1) नियम 4(2) के अन्तर्गत चयनित नये निगमों तथा विषयों की सूचना शासन के सम्बन्धित विभाग तथा सम्बन्धित निगम को प्रेषित की जायेगी।

(2) सम्बन्धित निगम का यह दायित्व होगा कि उप नियम (1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त होने पर 15 दिनों के भीतर समिति की जानकारी हेतु चयनित आडिट प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणी अथवा चयनित विषय पर विस्तृत आख्या, निम्नांकित सूचनाओं के साथ शासन के सम्बन्धित विभाग के माध्यम से 50 प्रतियों में समिति कार्यालय को उपलब्ध करायें :--

(क) निगम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बतलाते हुए उसके उद्देश्य तथा कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण,

(ख) निगम की समवाय ज्ञापिका (मेमोरेन्डम आफ एसोसियेशन) उसके समवाय नियम (आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन) तथा उनके अन्तर्गत निर्गत नियमावली, अनुदेश रेगुलेशन्स, आदि, यदि कोई हों,

(ग) निगम के संगठनात्मक ढांचे की रूपरेखा जिसमें मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय तथा अन्य इकाइयों का संक्षिप्त विवरण होगा,

(घ) पिछले पांच वित्तीय वर्षों में निगम के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों का विवरण,

(ङ) यदि विगत पांच वित्तीय वर्षों में निगम को हानि हुई हो तो हानि के कारणों सहित उसका पूरा विवरण,

(च) निगम के वर्तमान कार्यक्रम तथा उसकी भावी योजनाओं का परिचय,

(छ) अन्य कोई सूचना जो समिति के निर्देशानुसार विशेष रूप से मांगी जाय अथवा जो निगम, समिति की जानकारी हेतु उपलब्ध कराना चाहे।

(3) समिति द्वारा नियम 4(2) के अन्तर्गत चयनित निगमों के आडिट प्रस्तरों पर अभ्युक्तियां भेजने का लिखित अनुरोध महालेखाकार से भी किया जायेगा।

6-नियम 5(2) में सदर्भित सामग्री विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हो जाने पर उसे यथाशीघ्र समिति के सदस्यों में परिचालित किया जायेगा।

7-समिति के विचाराधीन विषयों को समिति के सदस्यों द्वारा सदन में प्रश्न के माध्यम से अथवा अन्य किसी रूप में नहीं उठाया जायेगा।

8-(1) नियम-6 के अन्तर्गत परिचालित सामग्री का अध्ययन करने के उपरान्त समिति के सदस्य उसके विषय में अपने सुझाव दे सकेंगे और अग्रेतर जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।

(2) उप नियम (1) के अन्तर्गत दिये गये सुझाव या प्राप्त की जाने वाली अग्रेतर जानकारी की सूचना विधान सभा सचिवालय को उस तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए जो एतदर्थ सभापति द्वारा नियत की जाय।

9-(1) शासन/निगम से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणी, समिति के सदस्यों से प्राप्त सुझावों/प्रश्नों तथा महालेखाकार से आडिट प्रस्तरों पर प्राप्त अभ्युक्तियों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की जायेगी और उस पर सभापति का अनुमोदन प्राप्त किया जायगा।

सामग्री का सदस्यों में परिचालन समिति के विचाराधीन विषयों को सदन में उठाने पर निषेध समिति द्वारा चयनित विषयों के सम्बन्ध में सदस्यों के सुझाव

विभाग/निगम उपक्रम के लिये प्रश्नावली

(2) उप नियम (1) के अन्तर्गत अनुमोदित प्रश्नावली की प्रतियां सदस्यों में परिचालित की जायेगी और उसकी प्रति महालेखाकार को भेजी जायेगी।

(3) उप नियम (1) के अन्तर्गत अनुमोदित प्रश्नावली सम्बन्धित विभाग/उपक्रम/निगम को भी इस अनुरोध के साथ भेजी जायेगी कि वे उक्त प्रश्नावली के उत्तर पन्द्रह दिनों के भीतर अवश्य प्रेषित कर दें।

समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य

10-(1) समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य हेतु शासन से सम्बन्धित विभागीय सचिव तथा सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक उपस्थित होंगे। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों वश वे समिति के समक्ष साक्ष्य हेतु स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हों तो उन कारणों का उल्लेख करते हुए वे बैठक की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व सभापति से यह अनुरोध कर सकेंगे कि उनके स्थान पर विभाग के दूसरे वरिष्ठतम् अधिकारी को समिति के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाय।

(2) समिति अपने परीक्षणाधीन विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञों तथा अभिरुचि रखने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों का भी साक्ष्य ले सकेगी।

(3) सम्परीक्षा-प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के चयनित प्रस्तरों पर विचार तथा साक्ष्य के समय समिति की सहायतार्थ महालेखाकार से उपस्थित रहने का अनुरोध किया जायगा।

(4) समिति की बैठक में विचार समिति के समक्ष प्रस्तुत कार्य-सूची तक ही सीमित रहेगा और ऐसे विषयों पर समिति की बैठक में विचार नहीं किया जायगा जो समिति के समक्ष प्रस्तुत कार्य-सूची से भिन्न हों।

मौखिक साक्ष्य की प्रक्रिया

11-(1) सभापति साक्षियों से एक-एक करके प्रश्न पूछेंगे। यदि कोई सदस्यगण प्रश्न पूछना चाहें तो वे सभापति की अनुमति से प्रश्न पूछ सकेंगे।

(2) यदि साक्षी किसी प्रश्न का उत्तर तत्काल स्पष्ट करने की स्थिति में न हो तो सभापति उसे बाद में यथाशीघ्र लिखित रूप में पूर्ण स्थिति भेजने की अनुमति दे सकते हैं।

12-समिति किसी भी साक्षी को परीक्षणाधीन विषय पर अग्रेतर स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु पुनः बुला सकती है।

13-बैठकों के दौरान समिति द्वारा जिन बिन्दुओं पर अग्रेतर जानकारी की अपेक्षा की गयी हो, उन्हें, यथास्थिति, शासन के सम्बन्धित विभाग अथवा निगम को भेजा जायगा और सभापति के निर्देशाधीन रहते हुए उनके सम्बन्ध में वांछित जानकारी शीघ्र प्राप्त की जायगी।

14-समिति अथवा उप समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही शब्दशः प्रतिवेदित की जायगी और उस पर यथास्थिति सभापति अथवा संयोजक का अनुमोदन प्राप्त किया जायगा।

15-समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के साक्ष्य अंशों की पुष्टि हेतु सम्बन्धित साक्षियों के पास यथाशीघ्र इस अनुरोध के साथ भेजा जायगा कि वे अपने से सम्बन्धित साक्ष्य अंशों की पुष्टि उसकी प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर करके उन्हें मूलरूप में समिति कार्यालय को वापस कर दें। निर्धारित अवधि में साक्ष्य अंश पुष्टि के उपरान्त प्राप्त न होने की दशा में उनका यथा प्रतिवेदित स्वरूप अधिकृत मान लिया जायगा।

16-समिति को उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं एवं समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य गोपनीय समझे जायेंगे और उनमें निहित विषयवस्तु से सम्बन्धित कोई सूचना समिति के बाहर तब तक नहीं दी जायगी जब तक सम्बन्धित विषय पर समिति अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत न कर दे।

17-जब किसी विषय की जांच पूर्ण हो जाय तो समिति अपनी सिफारिशों तैयार करेगी जिनके आधार पर प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार कर उसे सभापति को प्रस्तुत किया जायगा। तदुपरान्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर समिति की बैठक में विचार किया जायगा और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जायगा।

17-(1) समिति के प्रतिवेदन में कोई विमति टिप्पणी नहीं होगी।

साक्षी का पुनः
बुलाया जाना

बिन्दु जिन पर
अग्रेतर
जानकारी
अपेक्षित हो

समिति अथवा
उप समिति की
कार्यवाहियाँ

कार्यवाहियों की
पुष्टि

साक्ष्यों तथा
सूचनाओं को
गोपनीय समझा
जाना

सिफारिशों तथा
प्रतिवेदनों का
प्रारूप तैयार
किया जाना
और उसका
अनुमोदन

प्रतिवेदन के प्रारूप
पर विचार के
समय बाहरी
व्यक्ति का निषेध

प्रतिवेदन की
अग्रिम प्रति का
प्रेषण

प्रतिवेदन में
तथ्यात्मक परिवर्तन
करने की सभापति
की शक्ति

समिति द्वारा
प्रतिवेदन अंगीकृत
होने के उपरान्त
किन्तु उसे प्रस्तुत
किये जाने के पूर्व
समिति के पुनर्गठन
की दशा में

संस्कृतियों का
कार्यान्वयन

18-जब समिति प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर रही हो अथवा किसी विषय में अपना मत निर्धारित कर रही हो तो उस समय ऐसा कोई व्यक्ति, जो समिति का सदस्य नहीं हो अथवा समिति से सम्बद्ध विधान सभा सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारी न हो, समिति की बैठक में उपस्थित नहीं रहेगा।

19-प्रतिवेदन की अग्रिम प्रति जिस पर “गोपनीय” अंकित होगा शासन के सम्बन्धित विभाग को, आवश्यक समझे जाने की दशा में, तथ्य सम्बन्धी विवरणों के प्रमाणीकरण हेतु इस निवेश के साथ भेजी जा सकेगी कि प्रतिवेदन के विषय को तब तक गुप्त रखा जाय जब तक कि वह सदन में उपस्थित न कर दिया जाय।

20-प्रतिवेदन के सदन में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व सभापति प्रतिवेदन के समिति द्वारा अनुमोदित स्वरूप में ऐसी लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटियों का परिमार्जन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

21-यदि समिति द्वारा प्रतिवेदन अंगीकार करने के बाद तथा अध्यक्ष को अथवा सदन में उसे प्रस्तुत करने के पूर्व नई समिति गठित हो जाय तो समिति द्वारा पूर्व में अंगीकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उसे नवगठित समिति के समय अंगीकरण की कार्यवाही हेतु रखा जायगा।

22-सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के उपरान्त उसकी प्रतियां यथाशीघ्र शासन/नियम को भेजी जायगी। शासन/नियम प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त होने के तीन माह के भीतर समिति के समक्ष एक ऐसा विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें उक्त प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाहियों का उल्लेख होगा।

(2) उप नियम (1) के अन्तर्गत शासन से विवरण प्राप्त हो जाने के उपरान्त यथाशीघ्र समिति उन पर विचार करेगी और यह विनिश्चय करेगी कि शासन से जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह समिति को मान्य है अथवा नहीं। शासन के उत्तर से असहमत

होने की दशा में समिति ऐसे विषयों पर अपना मत व्यक्त करेगी। तदुपरान्त सदन को अवगत कराने हेतु समिति सदन में कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जिसमें निम्नलिखित सूचना होगी :--

(क) समिति की ऐसी सिफारिशें जिन्हें शासन ने स्वीकार कर लिया हो,

(ख) समिति की ऐसी सिफारिशें जिन्हें शासन ने यद्यपि स्वीकार न किया हो तथापि उनके सम्बन्ध में शासन से प्राप्त स्पष्टीकरण से समिति संतुष्टि व्यक्त करे।

(ग) समिति द्वारा की गयी ऐसी सिफारिशें जिन्हें शासन ने स्वीकार न किया हो, के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त उत्तर पर समिति की अभ्युक्ति।

(घ) समिति की ऐसी सिफारिशें जिनके विषय में शासन से उत्तर प्राप्त न हुआ हो अथवा अन्तरिम उत्तर प्राप्त हुआ हो और पूर्ण उत्तर बाद में भेजे जाने का आश्वासन दिया गया हो।

23-प्रक्रिया नियमावली का नियम 304 समिति के प्रतिवेदनों के प्रतिवेदन के
विषय में भी लागू होगा।
किसी
आपत्तिजनक
अंश को
प्रतिवेदन से
निकालने की
अध्यक्ष की
शक्ति

परिशिष्ट-1

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में सदन की समितियों की प्रक्रिया से सम्बन्धित सामान्य नियमों का उद्धरण

200-सदन की समितियों की नियुक्ति-(१) प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर और तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय-समय पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हो, विभिन्न समितियां विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिये सदन द्वारा निर्वाचित या निर्मित की जायेगी या अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित होंगी :

परन्तु कोई सदस्य किसी समिति में तब तक नियुक्त नहीं किये जायेंगे जब तक कि वे उस समिति में कार्य करने के लिये सहमत न हों।

(२) समिति में आकस्मिक रिक्तिताओं की पूर्ति, यथास्थिति, सदन द्वारा निर्वाचन या नियुक्ति अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशन करके की जायेगी और जो सदस्य ऐसी रिक्तिताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचित, नियुक्त और नाम-निर्देशित हों उस कालावधि के असमाप्त भाग तक पद धारण करेंगे जिसके लिये वह सदस्य जिसके स्थान पर वे निर्वाचित, नियुक्त अथवा नाम-निर्देशित किये गये हैं, पद धारण करते :

परन्तु समिति की कार्यवाही इस आधार पर न अनियमित होगी और न रुकेगी कि आकस्मिक रिक्तिताओं की पूर्ति नहीं की गयी है।

200-क-समिति की सदस्यता पर आपत्ति-जब किसी सदस्य के किसी समिति में सम्मिलित किये जाने पर, इस आधार पर आपत्ति की जाये कि उस सदस्य का ऐसे घनिष्ठ प्रकार का वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है कि उससे समिति द्वारा विचारणीय विषयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो प्रक्रिया निम्नलिखित होगी :-

(क) जिस सदस्य ने आपत्ति की हो वह अपनी आपत्ति का आधार तथा समिति के सामने आने वाले विषयों में प्रस्थापित सदस्य के आरोपित हित के स्वरूप का, चाहे वह वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हो, सुतथ्यतया कथन करेगा,

(ख) आपत्ति का कथन किये जाने के बाद, अध्यक्ष समिति के लिये प्रस्थापित सदस्य को जिसके विरुद्ध आपत्ति की गयी हो, स्थिति बताने के लिये अवसर देगा,

(ग) यदि तथ्यों के सम्बन्ध में विवाद हो तो अध्यक्ष आपत्ति करने वाले सदस्य तथा उस सदस्य से जिसकी समिति में नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की

गयी हो, अपने-अपने मामले के समर्थन में लिखित या अन्य साक्ष्य पेश करने के लिये कह सकेगा,

(घ) जब अध्यक्ष ने अपने समक्ष इस तरह दिये गये साक्ष्य पर विचार कर लिया हो, तो उसके बाद वह अपना विनिश्चय देगा जो अन्तिम होगा,

(ङ) जब तक अध्यक्ष ने अपना विनिश्चय न दिया हो, वह सदस्य जिसकी समिति में नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गयी हो समिति का सदस्य बना रहेगा, यदि वह निर्वाचित या नाम-निर्देशित हो गया हो, और चर्चा में भाग लेगा, किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा, और

(च) यदि अध्यक्ष यह विनिश्चय करें कि जिस सदस्य की नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गयी है उसका समिति के समक्ष विचाराधीन विषय में कोई वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है, तो उसकी समिति की सदस्यता तुरन्त समाप्त हो जायेगी :

परन्तु समिति की जिन बैठकों में ऐसा सदस्य उपस्थित था उनकी कार्यवाही अध्यक्ष के विनिश्चय द्वारा किसी तरह प्रभावित नहीं होगी।

व्याख्या-इस नियम के प्रयोजनों के लिये सदस्य का हित प्रत्यक्ष, वैयक्तिक या आर्थिक होना चाहिए और वह हित जन-साधारण या उसके किसी वर्ग का भाग के साथ सम्प्रिलिप्त रूप में या राज्य की नीति के किसी विषय में न होकर उस व्यक्ति का, जिसके मत पर आपत्ति की जाय, पृथक रूप से होना चाहिए।

201-समिति का सभापति-(१) प्रत्येक समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु यदि उपाध्यक्ष समिति के सदस्य हो तो वे समिति के पदेन सभापति होंगे।

(२) यदि सभापति किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हों अथवा उनका पद रिक्त हो तो अध्यक्ष उनके स्थान में अन्य सभापति नियुक्त कर सकेंगे।

(३) यदि समिति के सभापति समिति के किसी उपवेशन से अनुपस्थित हों तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक के सभापति का कार्य करने के लिये निर्वाचित करेगी।

202-गणपूर्ति-(१) किसी समिति का उपवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति समिति के कुल सदस्यों की संख्या से तृतीयांश से अन्यून होगी जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित न हो।

*“(2) समिति के उपवेशन के लिये निर्धारित किसी समय पर या उपवेशन के दौरान किसी समय पर यदि गणपूर्ति न हो तो सभापति उपवेशन को आधे घण्टे के लिये स्थगित कर देंगे और पुनः समवेत होने पर उपवेशन के लिये गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या की पंचमांश से अन्यून होगी। यदि पुनः समवेत उपवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या समिति की कुल सदस्य संख्या के पंचमांश से भी न्यून रहे तो उपवेशन को किसी भावी तिथि के लिये स्थगित कर दिया जायेगा।”

(3) जब समिति उप नियम (2) के अन्तर्गत समिति के उपवेशन के लिये निर्धारित दो लगातार दिनांकों पर स्थगित हो चुकी हो तो सभापति इस तथ्य को सदन को प्रतिवेदित करेंगे :

परन्तु जब समिति अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गई हो तो सभापति स्थगन के तथ्य को अध्यक्ष को प्रतिवेदित करेंगे।

(4) ऐसा प्रतिवेदन किये जाने पर, यथास्थिति, सदन या अध्यक्ष यह विनिश्चित करेंगे कि आगे क्या कार्यवाही की जाय।

203-समिति के उपवेशनों से अनुपस्थित सदस्यों को हटाया जाना तथा उनके स्थान की पूर्ति-(1) यदि कोई सदस्य किसी समिति के लगातार 3 उपवेशनों से सभापति की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहें तो ऐसे सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के उपरान्त उस समिति से उनकी सदस्यता अध्यक्ष की आज्ञा से समाप्त की जा सकेंगी, और समिति में उनका स्थान अध्यक्ष की ऐसी आज्ञा के दिनांक से रिक्त घोषित किया जा सकेगा।

(2) नियम-200 के उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी उप नियम (1) के अन्तर्गत रिक्त स्थान की पूर्ति, अध्यक्ष द्वारा किसी अन्य सदस्य को नाम-निर्देशित करके की जा सकेगी।

प्रथम स्पष्टीकरण-इस नियम के अधीन उपवेशनों की गणना हेतु लखनऊ से बाहर आयोजित उपवेशनों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

***नोट :-** संसदीय अनुभाग विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या: 1165/ वि0स0/संसदीय/122(स0)/2001, दिनांक 07 जून, 2001 द्वारा यथासंशोधित।

द्वितीय स्पष्टीकरण-यदि कोई सदस्य समिति के उपवेशन में भाग लेने हेतु लखनऊ आये हों, किन्तु उपवेशन में भाग न ले सके हों और लखनऊ आने की लिखित सूचना वह प्रमुख सचिव को उपवेशन की तिथि को ही उपलब्ध करा दें, तो इस नियम के प्रयोजन के लिये उन्हें उक्त तिथि को अनुपस्थित नहीं समझा जायेगा।

204-सदस्य का त्याग-पत्र-कोई सदस्य समिति में अपने स्थान को स्वहस्तलिखित पत्र द्वारा जो अध्यक्ष को सम्बोधित होगा, त्याग सकेंगे।

205-समिति की पदावधि-इनमें से प्रत्येक समिति के सदस्यों की पदावधि एक वित्तीय वर्ष होगी :

परन्तु इन नियमों के अन्तर्गत निर्याचित या नाम-निर्देशित समितियां, जब तक विशेष रूप से अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाय, उस समय तक पद धारण करेंगी जब तक कि नई समिति नियुक्त न हो जाय।

206-समिति में मतदान-समिति के किसी उपवेशन में समस्त प्रश्नों का निर्धारण उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मताधिक्य से होगा। किसी विषय में मत साम्य होने की दशा में सभापति का दूसरा या निर्णायक मत होगा।

207-उप-समितियां नियुक्त करने की शक्ति-(1) इन नियमों के अन्तर्गत इनमें से कोई भी समिति किन्हीं ऐसे विषयों की जो उसे निर्दिष्ट किये जायं, जांच करने के लिए एक या अधिक उप समितियां नियुक्त कर सकेंगी जिनमें से प्रत्येक को अविभक्त समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी उप-समितियों के प्रतिवेदन सम्पूर्ण समिति के किसी उपवेशन में अनुमोदित हो जायें।

(2) उप-समिति के निर्देश-पत्र में अनुसंधान के लिये विषय या विषयों का स्पष्टतया उल्लेख होगा। उप-समिति के प्रतिवेदन पर सम्पूर्ण समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

208-समिति के उपवेशन-समिति के उपवेशन ऐसे समय और दिन में होंगे जो समिति के सभापति द्वारा निर्धारित किया जाय :

परन्तु यदि समिति का सभापति सुगमतया उपलब्ध न हो अथवा उनका पद रिक्त हो तो प्रमुख सचिव, उपवेशन का दिन और समय निर्धारित कर सकेंगे।

209-समिति के उपवेशन उस समय हो सकेंगे जब सदन का उपवेशन हो रहा हो :

परन्तु सदन में विभाजन की मांग होने पर समिति के सभापति समिति की कार्यवाहियों को ऐसे समय तक के लिये निलम्बित कर सकेंगे जो उनकी राय में सदस्यों को विभाजन में मतदान करने का अवसर दे सकें।

210-उपवेशनों का स्थान-समिति के उपवेशन, विधान भवन, लखनऊ में किये जायेंगे और यदि यह आवश्यक हो जाय कि उपवेशन का स्थान विधान भवन के बाहर परिवर्तित किया जाय तो यह मामला अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

211-साक्ष्य लेने व पत्र, अभिलेख अथवा दस्तावेज मांगने की शक्ति-(1) किसी साक्षी को प्रमुख सचिव के हस्ताक्षरित आदेश द्वारा आहूत किया जा सकेगा और वह ऐसे दस्तावेजों को पेश करेगा जो समिति के उपयोग के लिये आवश्यक हों।

(2) यह समिति के स्विवेक में होगा कि वह अपने समक्ष दिये गये किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय समझे।

(3) समिति के समक्ष रखा गया कोई दस्तावेज समिति के ज्ञान और अनुमोदन के बिना न तो वापस लिया जायेगा और न उसमें रूपान्तर किया जायेगा।

(4) समिति को शापथ पर साक्ष्य लेने और व्यक्तियों को उपस्थित कराने, पत्रों या अभिलेखों के उपस्थापन की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, यदि उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिये ऐसा करना आवश्यक समझा जाय :

परन्तु शासन किसी दस्तावेज को पेश करने से इस आधार पर इन्कार कर सकेगा कि उसका प्रकट किया जाना राज्य के हित तथा सुरक्षा के प्रतिकूल होगा।

(5) समिति के समक्ष दिया गया समस्त साक्ष्य तब तक गुप्त एवं गोपनीय समझा जायेगा जब तक समिति का प्रतिवेदन सदन में उपस्थित न कर दिया जाय :

परन्तु यह समिति के स्विवेक में होगा कि वह किसी साक्ष्य को गुप्त एवं गोपनीय समझे, जिस दशा में वह प्रतिवेदन का अंश नहीं बनेगा।

212-पक्ष या साक्षी समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है-समिति किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा नियुक्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता से कराये जाने की अनुमति दे सकेगी। इसी प्रकार कोई साक्षी समिति के समक्ष अपने द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता के साथ उपस्थित हो सकेगा।

213-साक्षियों की जांच की प्रक्रिया-समिति के सामने साक्षियों की जांच निम्न प्रकार से की जायेगी :-

(1) समिति किसी साक्षी को जांच के लिये बुलाये जाने से पूर्व उस प्रक्रिया की रीति को तथा ऐसे प्रश्नों के स्वरूप को विनिश्चित करेगी जो साक्षी से पूछे जा सकें।

(2) समिति के सभापति, इस नियम के उप नियम (1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार साक्षी से पहले ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जो वह विषय या तत्सम्बन्धी किसी विषय के सम्बन्ध में आवश्यक समझें।

(3) सभापति समिति के अन्य सदस्यों को एक-एक करके कोई अन्य प्रश्न पूछने के लिये कह सकेंगे।

(4) साक्षी को समिति के सामने कोई ऐसी अन्य संगत बात रखने को कहा जा सकेगा जो पहले न आ चुका हो और जिन्हें साक्षी समिति के सामने रखना आवश्यक समझता हो।

(5) जब किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिये आहूत किया जाय तो समिति की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा जायेगा।

(6) समिति के सामने दिया गया साक्ष्य समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध किया जा सकेगा।

214-समिति के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर-समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से सभापति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे :

परन्तु यदि सभापति अनुपस्थित हों या सुगमतया न मिल सकते हों तो समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये समिति कोई अन्य सदस्य चुनेगी।

215-उपस्थापन के पूर्व प्रतिवेदन का शासन को उपलब्ध किया जाना-समिति, यदि वह ठीक समझे, तो वह अपने प्रतिवेदन की प्रतिलिपि को या उसके पूरे किये गये किसी भाग को सदन में उपस्थापित करने से पूर्व शासन को उपलब्ध कर सकेगी। ऐसे प्रतिवेदन जब तक सदन में उपस्थापित नहीं कर दिये जायेंगे तब तक गोपनीय समझें जायेंगे।

216-प्रतिवेदन का उपस्थापन-(1) समिति का प्रतिवेदन समिति के सभापति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये हों या समिति के किसी सदस्य द्वारा जो सभापति द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये गये हों, या सभापति की अनुपस्थिति में या जब वह प्रतिवेदन उपस्थित करने में असमर्थ हो तो समिति द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित किया जायेगा और सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

(2) प्रतिवेदन उपस्थित करने में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थित करने वाले सदस्य यदि कोई अभ्युक्त करें तो अपने आपको तथ्य के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेंगे या समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

(3) सम्बन्धित मंत्री या कोई मंत्री उसी दिन या किसी भावी दिनांक को जब तक के लिये वह विषय स्थगित किया गया है, सरकारी दृष्टिकोण और शासन द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त उत्तर दे सकेंगे।

(4) प्रतिवेदन उपस्थित किये जाने के उपरान्त किन्तु उपस्थिति की तिथि से 15 दिन के भीतर मांग किये जाने पर, अध्यक्ष यदि उचित समझे तो उस प्रतिवेदन पर विचार के लिये समय नियत करेंगे। सदन के समक्ष न कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मत लिये जायेंगे।

217-सदन में उपस्थापन से पूर्व प्रतिवेदन का प्रकाशन या परिचालन-अध्यक्ष, उनसे प्रार्थना किये जाने पर और जब सदन सत्र में न हो समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन या परिचालन का आदेश दे सकेंगे यद्यपि वह सदन में उपस्थापित न किया गया हो। ऐसी अवस्था में प्रतिवेदन आगामी सत्र में प्रथम सुविधाजनक अवसर पर उपस्थापित किया जायेगा।

218-प्रक्रिया के सम्बन्ध में सुझाव देने की शक्ति-(1) समिति की अध्यक्ष के विचारार्थ उस समिति से सम्बन्धित प्रक्रिया के विषयों पर संकल्प पारित करने की शक्ति होगी जो प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेंगे जिन्हें वे आवश्यक समझें।

(2) इन समितियों में से कोई अध्यक्ष के अनुमोदन से इन नियमों में सन्निहित उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये प्रक्रिया के विस्तृत नियम बना सकेंगी।

219-प्रक्रिया के विषय में या अन्य विषय में निदेश देने की अध्यक्ष की शक्ति-(1) अध्यक्ष समय-समय पर समिति के सभापति को ऐसे निदेश दे सकेंगे जिन्हें वे उसकी प्रक्रिया और कार्य के संगठन के विनियमन के लिये आवश्यक समझें।

(2) यदि प्रक्रिया के विषय में या अन्य किसी विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो तो सभापति यदि ठीं गपझे तो उस विषय को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर देंगे जिनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

220-समिति का असमाप्त कार्य-कोई समिति जो सदन के विघटन से पूर्व अपना कार्य समाप्त करने में असमर्थ हो तो वह सदन को प्रतिवेदन देगी कि समिति अपना कार्य समाप्त करने में समर्थ नहीं हो सकी है। कोई प्रारम्भिक प्रतिवेदन, ज्ञापन या टिप्पणी जो समिति ने तैयार की हो या कोई साक्ष्य जो समिति ने लिया हो वह नयी समिति को उपलब्ध कर दिया जायेगा।

221-प्रमुख सचिव, समितियों का पदेन प्रमुख सचिव होगा-प्रमुख सचिव इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त समस्त समितियों के पदेन प्रमुख सचिव होंगे।

222-समितियों के सामान्य नियमों की प्रवृत्ति-किसी विशेष समिति के लिये जब तक अन्यथा विशेष रूप से उपबन्धित न हो इस अध्याय के सामान्य नियम के उपबन्ध सब समितियों पर प्रवृत्त होंगे।

परिशिष्ट-2

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति से सम्बन्धित नियमों का उद्धरण

232-क-समिति के कृत्य-राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों तथा निगमों के कार्य-संचालन की जांच करने के लिये उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति होगी।

इस समिति के निम्नांकित कृत्य होंगे :-

(क) उपरोक्त सार्वजनिक उपक्रमों तथा निगमों की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरणों की तथा संतुलन-पत्रों और लाभ एवं हानि के लेखों के ऐसे विवरणों की जांच करना जिन्हें तैयार करने की राज्यपाल ने अपेक्षा की हो या जो किसी विशेष सार्वजनिक उपक्रमों या निगम के लिये वित्तीय व्यवस्था विनियमित करने वाले संविहित नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत तैयार किये गये हों और उन पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों की, यदि कोई हों, जांच करना।

(ख) उपरोक्त उपक्रमों एवं निगमों की स्वायत्ता को ध्यान में रखते हुए उनकी रक्षता की जांच ऐसे दृष्टिकोण से करना कि क्या उनका प्रबन्ध ठोस व्यावसायिक सिद्धान्तों तथा व्यापारिक कार्य प्रणाली के अनुसार किया जा रहा है।

(ग) उपरोक्त उपक्रमों एवं निगमों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कर्तव्य जो अन्यथा लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के कार्यक्षेत्र में आते हों, और जिन्हें विधान सभा के अध्यक्ष इस समिति को समय-समय पर निर्दिष्ट करें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि समिति निम्नलिखित मामलों की जांच नहीं करेगी :-

(1) शासन की नीति के प्रमुख मामले जो सार्वजनिक उपक्रमों के व्यावसायिक कार्यों से भिन्न हों,

(2) दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों,

(3) ऐसे मामले जो सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम/निगम की स्थापना करने वाले अधिनियम द्वारा किसी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारित किये जाने हों।

232-ख-समिति का गठन-समिति में सभापति को शामिल करते हुए 35 सदस्य होंगे, जिनमें से 25 सदस्य विधान सभा के और 10 सदस्य विधान परिषद् के होंगे, जो प्रत्येक सदन के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संकरणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नहीं होंगे, और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायें तो ऐसी नियुक्ति की तिथि से उनकी समिति की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

232-ग-समिति के सभापति की नियुक्ति-समिति के सभापति की नियुक्ति विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। समिति की बैठक करने के लिये गणपूरक संघ्या समिति के सदस्यों की कुल संघ्या की एक तिहाई होगी।

232-घ-समिति का प्रतिवेदन-समिति विधान मण्डल के दोनों सदनों को समय-समय पर पूर्वोक्त सभी या किसी विषय के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देगी।

232-ड-सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के अधिकार क्षेत्र का विनिश्चय-यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई विषय सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है अथवा नहीं, तो यह मामला अध्यक्ष, विधान सभा को निर्दिष्ट किया जायेगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

परिशिष्ट-3

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1971 से फरवरी, 2017 तक) का विवरण

विधान सभा	समिति का वर्ष	समिति के गठन की तिथि	बैठकों संख्या	सदन में प्रस्तुत हुए प्रतिवेदनों की संख्या	मा० सभापति का नाम
1	2	3	4	5	6
पंचम विधान सभा	1971-72	15 जनवरी, 1972	17	--	श्री मुस्ताज मोहम्मद खां (17-01-1972 से)
	1972-73	11 मई, 1972	103	3	श्री मुस्ताज मोहम्मद खां
षष्ठि विधान सभा	1973-74	25 अप्रैल, 1973	13	--	श्रीमती सियादुलारी
	1974-75	29 अगस्त, 1974	86	2	श्री वीरेन्द्र वर्मा (15-02-1975 तक)
	1975-76	09 अगस्त, 1975	29	1	श्री श्रीशचन्द्र अग्रवाल (15-3-1975 से)
	1976-77	11 जून, 1976	45	1	श्री श्रीशचन्द्र अग्रवाल
	1977-78	समिति का गठन नहीं हुआ।	--	--	---
सप्तम् विधान सभा	1978-79	5 जुलाई, 1978	58	4	श्री मलिखान सिंह (5 मार्च, 1979 तक)
	1979-80	16 जुलाई, 1979	31	2	श्री वीरेन्द्रपति यादव (6 अप्रैल, 1979 से)

1	2	3	4	5	6
अष्टम् विधान सभा	1980-81	13 नवम्बर, 1980	41	--	श्री श्रीकृष्ण गोयल
नवम् विधान सभा	1981-82	1 मई, 1981	102	5	डा० कृष्णवीर सिंह कौशल
	1982-83	19 अक्टूबर, 1982	55	4	श्री खान गुरफान जाहिदी
	1983-84	29 सितम्बर, 1983	79	6	श्री खान गुरफान जाहिदी
	1984-85	5 अक्टूबर, 1984	28	2	श्री अजीत सिंह सेठी
	1985-86	22 मई, 1985	82	1	श्री अजीत सिंह सेठी
दशम् विधान सभा	1986-87	8 अगस्त, 1986	86	1	श्री जयराम वर्मा
	1987-88	4 नवम्बर, 1987	86	5	डा० कृष्णवीर सिंह कौशल श्री भोला शंकर मौर्य (1 सितम्बर, 1988 से)
	1988-89	11 जनवरी, 1989	72	15	श्रीमती पद्मा सेठ
	1989-90	30 मार्च, 1990	11	3	श्री रुद्र प्रसाद
	1990-91	25 सितम्बर, 1990	07	6	श्री रुद्र प्रसाद श्री जयशंकर पाण्डेय (7 जनवरी, 1991 से)

1	2	3	4	5	6
स्थारहर्वीं	1991-92	28 जनवरी, विधान सभा	39	4	श्री राम व्यारे शुक्ल
		1992-93 समिति का गठन नहीं हुआ	--	--	--
बारहर्वीं	1993-94	29 मार्च, 1994	--	--	श्री अशोक बाजपेयी
विधान सभा					
	1994-95	26 जुलाई, 1994	74	--	श्री हृदय नारायण
	1995-96	4 अक्टूबर, 1995	--	--	श्री भगेलू राम
तेरहर्वीं	1996-97	समिति का गठन विधान सभा	--	--	--
		नहीं हुआ			
	1997-98	13 जून, 1997	93	15	श्री लालजी वर्मा
					डा० सरजीत सिंह डंग
					(23 दिसम्बर, 1997 से)
	1998-99	12 अक्टूबर, 1998	83	8	डा० सरजीत सिंह डंग
	1999-2000	15 दिसम्बर, 1999	57	4	श्री शिव बहादुर सकरेना
	2000-2001	2 फरवरी, 2001	39	5	डा० सरजीत सिंह डंग
	2001-2002	6 दिसम्बर, 2001	--	--	डा० सरजीत सिंह डंग

1	2	3	4	5	6
चौदहवीं	2002-2003	05 अगस्त,	26	12	श्री श्यामदेव राय
विधान		2002			चौधरी
सभा	.				डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर (21 मार्च, 2003 से)
	2003-2004	10 जनवरी, 2004	29	6	श्री दुर्गा प्रसाद यादव

समिति 2004-2005 का गठन नहीं हुआ।

पन्द्रहवीं	2005-2006	05 मई, 2005	27	9	श्री दुर्गा प्रसाद यादव
विधान	2006-2007	21 अगस्त, 2006	7	6	श्री दुर्गा प्रसाद यादव
सभा	2007-2008	19 सितम्बर, 2007	14	03	चौधरी धूराम लोधी
	2008-2009	02 जुलाई, 2008	25	02	चौधरी धूराम लोधी
	2009-2010	09 सितम्बर, 2009	43	00	चौधरी धूराम लोधी
	2010-2011	24 सितम्बर, 2010	47	07	चौधरी धूराम लोधी

सोलहवीं समिति 2011-2012 का गठन नहीं हुआ।

विधान सभा

2012-2013	09 अगस्त, 2012	29	04	श्री उदय राज
2013-2014	19 जुलाई, 2013 तथा	46	20	श्री उदय राज
2014-2015				
2015-2016	01 जुलाई, 2015 तथा	37	23	श्री शाकिर अली
2016-2017				

समिति के सभापतियों के नाम

वर्ष	सभापति का नाम
1	2
1971-72	श्री मुमताज अहमद खां
1972-73	श्री मुमताज मोहम्मद खां
1973-74	श्रीमती सियादुलारी
1974-75	श्री वीरेन्द्र वर्मा (15-2-1975 तक) (16-2-1975 से मंत्रि-परिषद् का सदस्य होने से रिक्त) श्री श्रीशचन्द्र अग्रवाल (15-3-1975 से)
1975-76	श्री श्रीशचन्द्र अग्रवाल
1976-77	श्री श्रीशचन्द्र अग्रवाल
1977-78	समिति का गठन नहीं हुआ।
1978-79	श्री मलिखान सिंह (5-3-1979 तक) (6-3-1979 से मंत्रि-परिषद् का सदस्य होने से रिक्त) श्री वीरेन्द्रपति यादव (6-4-1979 से)
1979-80	श्री वीरेन्द्रपति यादव
1980-81	श्री कृष्ण गोयल (24-12-1980 तक) (25-12-80 से मंत्रि-परिषद् का सदस्य होने से रिक्त) डा० कृष्णवीर सिंह कौशल (27-12-80 से)
1981-82	डा० कृष्णवीर सिंह कौशल
1982-83	श्री खान गुरफान जाहिदी
1983-84	श्री खान गुरफान जाहिदी
1984-85	श्री अजीत सिंह सेठी
1985-86	श्री अजीत सिंह सेठी
1986-87	श्री जयराम वर्मा (13-1-87 को मृत्यु) श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा (19-1-87 से)
1987-88	डा० कृष्णवीर सिंह कौशल श्री भोला शंकर मौर्य (01 सितम्बर, 1988 से)
1988-89	श्रीमती पद्मा सेठ

वर्ष	सभापति का नाम
1989-90	श्री रुद्र प्रसाद
1990-91	श्री रुद्र प्रसाद
	श्री जयशंकर पाण्डेय (07 जनवरी, 1991 से)
1991-92	श्री राम प्यारे शुक्ल
1992-93	समिति का गठन नहीं हुआ।
1993-94	श्री अशोक बाजपेयी
1994-95	श्री हृदय नारायण
1995-96	श्री भगेलू राम
1996-97	समिति का गठन नहीं हुआ।
1997-98	श्री लालजी वर्मा डा० सरजीत सिंह डंग (23 दिसम्बर, 1997 से)
1998-99	डा० सरजीत सिंह डंग
1999-2000	श्री शिव बहादुर सक्सेना
2000-2001	डा० सरजीत सिंह डंग
2001-2002	डा० सरजीत सिंह डंग
2002-2003	श्री श्यामदेव राय चौधरी डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर (21 मार्च, 2003 से)
2003-2004	श्री दुर्गा प्रसाद यादव
2004-2005	समिति का गठन नहीं हुआ।
2005-2006	श्री दुर्गा प्रसाद यादव
2006-2007	श्री दुर्गा प्रसाद यादव
2007-2008	चौधरी धूराम लोधी
2008-2009	चौधरी धूराम लोधी
2009-2010	चौधरी धूराम लोधी
2010-2011	चौधरी धूराम लोधी
2011-2012	चौधरी धूराम लोधी
2012-2013	श्री उदय राज
2013-2014	श्री उदय राज
2014-2015	श्री उदय राज
2015-2016	श्री शाकिर अली
2016-2017	श्री शाकिर अली

परिशिष्ट-5

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों का विवरण

समिति ने अब तक कुल 189 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। इनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	प्रतिवेदन संख्या	समिति का वर्ष	प्रतिवेदन का विषय	सदन में प्रस्तुत करने की तिथि
पंचम विधान सभा				
1	2	3	4	5
1	प्रथम	1972-73	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से सम्बन्धित।	24-1-1973
2	द्वितीय	1972-73	उत्तर प्रदेश सहकारी संघ मूल्य संरक्षण नीति के अन्तर्गत मार्केटिंग वर्ष 1972-73 में केन्द्रीय पूल के लिये संघ द्वारा गेहूं की खरीददारी।	18-4-1973
3	तृतीय	1972-73	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम से सम्बन्धित।	24-4-1973
षष्ठ विधान सभा				
4	विशेष प्रतिवेदन	1974-75	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1970-71 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित।	09-8-1975
5	प्रथम	1974-75	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1970-71 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित।	30-3-1976

1	2	3	4	5
6	द्वितीय (कार्यान्वयन)	1975-76	वर्ष 1972-73 की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के उत्तर प्रदेश राज्य एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन से सम्बन्धित तृतीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।	28-4-1976
7	विशेष प्रतिवेदन	1976-77	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के गठन के दिनांक से अब तक लेखे नियमानुसार तैयार न करने तथा उनके भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से लेखा परीक्षा न कराने के सम्बन्ध में।	11-11-1976
सप्तम् विधान सभा				
8	प्रथम	1978-79	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1971-72 में उल्लिखित, क-उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम, ख-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, ग-उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड, घ-उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड तथा ड-सरकारी परिवहन केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	08-9-1978

1	2	3	4	5
9	द्वितीय	1978-79	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1972-73 में उल्लिखित।	08-9-1978
10	तृतीय	1978-79	1-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, 2-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, 3-यू० पी० सीमेंट कारपोरेशन लि०, 4-इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लि०, 5-उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि० तथा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि० से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	08-9-1978
11	चतुर्थ	1978-79	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में उल्लिखित, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित और निगम के लेखों आदि के सम्बन्ध में।	12-6-1979

1	2	3	4	5
12	प्रथम (कार्यान्वयन)	1979-80	सार्वजनिक उपकरण एवं निगम समिति के उत्तर प्रदेश सहकारी संघ मूल्य संरक्षण नीति के अन्तर्गत मार्केटिंग वर्ष 1972-73 में केन्द्रीय पूल के लिये सहकारी संघ द्वारा गेहूं की खरीदारी से सम्बन्धित द्वितीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।	06-2-1980
13	द्वितीय	1979-80	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित और निगम के लेखों आदि के सम्बन्ध में।	06-2-1980
14	प्रथम	1981-82	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 पर आधारित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 के सम्बन्ध में।	18-9-1981
15	द्वितीय	1981-82	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित।	22-9-1981

1	2	3	4	5
16	तृतीय	1981-82	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम लि0 से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित।	22-9-1981
17	चतुर्थ	1981-82	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लि0, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लि0, उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लि0, तथा दि0 इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लि0 से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित।	22-9-1981
18	पंचम	1981-82	सार्वजनिक उपकरणों/निगमों के वार्षिक लेखे निर्धारित समय में तैयार करने, लेखों की लेखा परीक्षा कराने तथा शासन द्वारा उनके वार्षिक प्रतिवेदन लेखे तथा बजट विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।	16-3-1982

1	2	3	4	5
19	प्रथम	1982-83	भारत के नियंत्रक-	15-3-1983
	(कार्यान्वयन)		महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0, से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित तथा निगम के लेखों आदि के सम्बन्ध में सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1978-79) के चतुर्थ प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गयी कार्यवाही।	
20	द्वितीय	1982-83	भारत के नियंत्रक-	2-9-1983
			महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित।	
21	तृतीय	1982-83	भारत के नियंत्रक-	2-9-1983
			महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित।	

1	2	3	4	5
22	चतुर्थ	1982-83	उत्तर प्रदेश पश्चिम उद्योग निगम लि0, उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लि0 के कार्यकलापों के सम्बन्ध में।	9-9-1983
23	प्रथम	1983-84	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश स्टेट एओ इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित।	17-4-1984
24	द्वितीय	1983-84	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लि0 से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित।	17-4-1984
25	तृतीय	1983-84	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लि0 से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित।	17-9-1984

1	2	3	4	5
26	चतुर्थ	1983-84	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 में उल्लिखित दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिंग से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित।	17-9-1984
27	पंचम	1983-84	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1979-80 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विषणन निगम लिंग से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित।	17-9-1984
28	षष्ठ	1983-84 (कार्यान्वयन)	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित और निगम के लेखों आदि से सम्बन्धित सार्वजनिक उपकरण एवं निगम समिति (1979-80) के द्वितीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गयी कार्यवाही।	17-9-1984

1	2	3	4	5
29	विशेष	1984-85	साहूपुरी विद्युत केन्द्र सम्बन्धी।	21-3-1985
30	प्रथम (कार्यान्वयन)	1984-85	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम लि० से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति 1981-82 के तृतीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन।	21-3-1985
			नवम् विधान सभा	
31	प्रथम (संयुक्त समिति)	1985-86	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि० सम्बन्धी घोटालों की जांच सम्बन्धी।	1-4-1986
32	द्वितीय	1986-87	उत्तर प्रदेश आगरा मण्डल विकास निगम लि० से सम्बन्धित घोटालों की जांच पर आधारित।	4-9-1986
33	तृतीय	1987-88	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 व 1976-77 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि० से सम्बन्धित।	26-4-1988
34	चतुर्थ	1987-88	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1976-77 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित।	27-4-1988

1	2	3	4	5
35	पांचवां	1987-88	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 व 1976-77 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि० से सम्बन्धित।	5-10-1988
36	छठा	1987-88	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 से 1978-79 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि० से सम्बन्धित।	5-10-1988
37	सातवां	1987-88	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1979-80 से 1981-82 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लि० से सम्बन्धित।	5-10-1988
38	आठवां	1988-89	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 से 1979-80 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम लि० एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लि० से सम्बन्धित।	28-2-1989
39	नवां	1988-89	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 से 1983-84 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लि० से सम्बन्धित।	28-2-1989

40	दसवां	1988-89	भारत के नियंत्रक-	28-2-1989
			महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 से 1980-81 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिलो से सम्बन्धित।	
41	ग्यारहवां	1988-89	भारत के नियंत्रक-	28-2-1989
			महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 से 1979-80 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिलो से सम्बन्धित।	
42	बारहवां	1988-89	भारत के नियंत्रक-	30-3-1989
			महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 से 1978-79 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से सम्बन्धित।	
43	तेरहवां	1988-89	भारत के नियंत्रक-	30-3-1989
			महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 से 1979-80 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिलो से सम्बन्धित।	
44	चौदहवां	1988-89	भारत के नियंत्रक-	30-3-1989
			महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 से 1978-79 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिलो से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	

1	2	3	4	5
45	पन्द्रहवां	1988-89	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 से 1979-80 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	विधान परिषद् 29-9-1989
46	सोलहवां	1988-89	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 से 1979-80 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	विधान परिषद् 30-9-1989
47	सत्रहवां	1988-89	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 से 1979-80 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	विधान परिषद् 29-9-1989
48	अट्ठारहवां	1988-89	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 से 1977-78 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लि० से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	विधान परिषद् 30-9-1989

1	2	3	4	5
49	उन्नीसवां	1988-89	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 से 1978-79 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	29-9-1989 विधान परिषद् 30-9-1989 विधान सभा
50	बीसवां	1988-89	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० के कार्यकलापों से सम्बन्धित।	29-9-1989 विधान परिषद् 30-9-1989 विधान सभा
51	इक्कीसवां	1988-89	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 से 1979-80 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लि० से सम्बन्धित।	29-9-1989 विधान परिषद् 30-9-1989 विधान सभा
52	बाईसवां	1988-89	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पंचायती राज एवं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम से सम्बन्धित।	29-9-1989 विधान परिषद् 30-9-1989 विधान सभा
दशम् विधान सभा				
53	प्रथम	1989-90	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित।	6-7-1990

1	2	3	4	5
54	द्वितीय	1989-90	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1977-78 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से सम्बन्धित।	6-7-1990
55	तृतीय	1989-90	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में व्याप्त अनियमिताओं के सम्बन्ध में श्री अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा की सूचनाओं से सम्बन्धित।	6-7-1990
56	चतुर्थ	1990-91	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1979-80 से 1983-84 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लि से सम्बन्धित।	21-2-1991
57	पंचम	1990-91	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1978-79 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से सम्बन्धित।	21-2-1991
58	षष्ठम् (कार्यान्वयन)	1990-91	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1982-83) के द्वितीय प्रतिवेदन सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, प्रतिवेदन (1983-84) के तृतीय व चतुर्थ प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1985-86) के प्रथम प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन।	21-2-1991

1	2	3	4	5
59	सप्तम् (कार्यान्वयन)	1990-91	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1987-88) के चतुर्थ प्रतिवेदन तथा पाष्टम् प्रतिवेदन, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988-89) के नवम् व चौदहवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों का कार्यान्वयन सम्बन्धी।	21-2-1991
60	अष्टम् (कार्यान्वयन)	1990-91	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1978-79) के द्वितीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन सम्बन्धी।	21-2-1991
61	नवम् (कार्यान्वयन)	1990-91	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1978-79) के तृतीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन सम्बन्धी।	21-2-1991
62	प्रथम	1991-92	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1984-85 से 1986-87 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश राज्य सङ्क विवहन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	13-5-1992

1	2	3	4	5
63	द्वितीय (कार्यान्वयन)	1991-92	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1978-79) के प्रथम प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1976-77) के विशेष प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन।	13-5-1992
64	तृतीय (कार्यान्वयन)	1991-92	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1987-88) के सातवें तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1988-89) के आठवें एवं दसवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन।	13-5-1992
65	चतुर्थ (कार्यान्वयन)	1991-92	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988-89) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन। बारहवीं विधान सभा -शून्य-	13-5-1992
66	प्रथम (कार्यान्वयन)	1997-98	त्रयोदश विधान सभा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का प्रथम प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, आडिट रिपोर्ट 1975-76 से 1978-79 (वाणिज्यिक) पर सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का (1988-89) के उन्नीसवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन।	11-8-1997

1	2	3	4	5
67	द्वितीय (कार्यान्वयन)	1997-98	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का द्वितीय प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड आडिट रिपोर्ट वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79 एवं 1979-80 (वाणिज्यिक) में सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988-89) के बारहवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन।	11-8-1997
68	तृतीय (कार्यान्वयन)	1997-98	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का तृतीय प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, आडिट रिपोर्ट 1975-76 तथा 1976-77 (वाणिज्यिक) पर सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1987-88) के तृतीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन।	11-8-1997
69	चतुर्थ (कार्यान्वयन)	1997-98	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का चतुर्थ प्रतिवेदन सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का (1988-89) के बारहवें, सत्रहवें तथा बाइसवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन।	11-8-1997

1	2	3	4	5
70	पंचम	1997-98 (कार्यान्वयन)	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का पंचम प्रतिवेदन सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1982-83) के चतुर्थ प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन।	11-8-1997
71	छठा	1997-98 (कार्यान्वयन)	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का छठा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम आडिट रिपोर्ट वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 (वाणिज्यिक) पर सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1991-92) के प्रथम प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों पर आधारित कार्यान्वयन।	11-8-1997
72	सप्तम्	1997-98	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1985-86 तथा 1987-88 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन (अपट्रान इण्डिया) से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	11-8-1997

1	2	3	4	5
73	अष्टम्	1997-98	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1982-83 तथा 1987-88 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित।	11-8-1997
74	नवम्	1997-98	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1986-87 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	11-8-1997
75	दशम्	1997-98	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1979-80, 1983-84, 1986-87, 1994-95 तथा 1995-96 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	23-6-1998
76	ग्यारहवां	1997-98	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1979-80 से 1985-86 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	23-6-1998

77	बारहवां (कार्यान्वयन)	1997-98	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1981-82) के द्वितीय प्रतिवेदन (उत्तर प्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम के सम्बन्ध में) तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के वर्ष (1981-82) के चतुर्थ प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश राज्य पर्वतीय विकास निगम लि�0, उत्तर प्रदेश राज्य बुन्देलखण्ड विकास निगम लि�0, दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लि�0 में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन।	22-7-1998
78	तेरहवां	1997-98	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1986-87 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तथा आडिट रिपोर्ट 1987-88 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	22-7-1998
79	चौदहवां	1997-98	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1980-81 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के प्रस्तरों पर आधारित प्रतिवेदन।	22-7-1998

1	2	3	4	5
80	विशेष प्रतिवेदन	1997-98	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सम्बन्ध में।	23-9-1998
81	विशेष प्रतिवेदन	1998-99	उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में।	26-2-1999
82	विशेष प्रतिवेदन	1998-99	सार्वजनिक निगमों को अधिक कार्यकुशल बनाने के सम्बन्ध में।	18-3-1999
83	पन्द्रहवां	1998-99	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1981-82 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारांगार निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	18-3-1999
84	सोलहवां (कार्यान्वयन)	1998-99	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988-89) के बीसवें प्रतिवेदन में निहित उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित संस्तुतियों का कार्यान्वयन।	18-3-1999
85	सत्रहवां (कार्यान्वयन)	1998-99	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1981-82) के प्रथम प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन।	18-3-1999
86	अट्ठारहवां (कार्यान्वयन)	1998-99	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1983-84) के प्रथम प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन।	18-3-1999

1	2	3	4	5
87	उन्नीसवां (कार्यान्वयन)	1998-99	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1989-90) के तृतीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन।	24-3-1999
88	बीसवां (कार्यान्वयन)	1998-99	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1982-83) के तृतीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन।	24-3-1999
89	इक्कीसवां	1999-2000	<p>(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1981-82 तथा 1992-93 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।</p> <p>(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1986-87 तथा 1992-93 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।</p> <p>(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1991-92 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तर पर आधारित।</p>	16-5-2000

1	2	3	4	5
			(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1992-93 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तर पर आधारित।	
90	बाईसवां	1999-2000	(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1995-96 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तर पर आधारित।	16-5-2000

1	2	3	4	5
		(3)	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1996-97 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	
91	तेईसवां	1999-2000	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष, 1980-81, 1981-82 1985-86, 1987-88 तथा 1988-89 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	24-10-2000
92	चौबीसवां (कार्यान्वयन)	1999-2000	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988-89) के सोलहवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन।	24-10-2000
93	पच्चीसवां	2000-2001	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष, 1979-80, 1981-82 1985-86, 1986-87 एवं 1988-89 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशल लिउ से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	17-5-2001

1	2	3	4	5
94	छव्वीसवां	2000-2001	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष, 1977-78, 1980-81, 1983-84, 1986-87 एवं 1987-88 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	17-5-2001
95	सत्ताइसवां	2000-2001	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1983-84, 1986-87, 1988-89 एवं 1990-91 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0 प्र0 राज्य हथकरण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	1-6-2001
96	अट्ठाइसवां	2000-2001	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष, 1987-88, 1988-89 एवं 1989-90 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	1-6-2001
97	उन्तीसवां	2000-2001	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1988-89 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0 प्र0 वित्तीय निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	27-9-2001

1	2	3	4	5
चौदहवीं विधान सभा				
98	प्रथम	2002-2003	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1983-84, 84-85 तथा 1992-93 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, रिपोर्ट वर्ष 1986-87 तथा 1994-95 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0, तथा वर्ष 1996-97 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0 प्र0 राज्य भण्डारागार निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	02-09-2002
99	द्वितीय	2002-2003	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1981-82, 85-86, 87-88, 89-90, 92-93, 94-95 तथा 1996-97 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	02-09-2002

1	2	3	4	5
100	तृतीय	2002-2003	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1993-94, 95-96, (वाणिज्यिक) में उल्लिखित दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० (पिकप) से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	02-09-2002
101	चतुर्थ	2002-2003	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1993-94, 1996-97, (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि०, से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	02-09-2002
102	पंचम	2002-2003	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1993-94, 1994-95 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	02-09-2002
103	षष्ठम्	2002-2003	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1993-94, 95-96 तथा 1997-98 (वाणिज्यिक) में	02-09-2002

1	2	3	4	5
			उल्लिखित उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि०, रिपोर्ट वर्ष 1996-97 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एवं लाइव स्टाफ स्पेशलटीज लि०, तथा रिपोर्ट वर्ष 1998-99 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश वन निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि०, से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	
104	सप्तम्	2002-2003	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1990-91 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	16-09-2003 विधान सभा 17-09-2003 विधान परिषद्
105	अष्टम्	2002-2003	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1997-98 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० जल निगम, रिपोर्ट वर्ष 1994-95 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित यू० पी० प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्र्यूबवेल कारपोरेशन लिमिटेड, रिपोर्ट वर्ष 1994-95 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० वित्तीय निगम, तथा रिपोर्ट वर्ष 1985-86 तथा	16-09-2003 विधान सभा 17-09-2003 विधान परिषद्

1	2	3	4	5
106	नवम्	2002-2003	1989-90 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित ३० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि० से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	तदैव
107	दशम् (कार्यान्वयन)	2002-2003	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1995-96 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित ३० प्र० लघु उद्योग निगम लि० तथा रिपोर्ट वर्ष 1990-91 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	तदैव
108	एकादश्	2002-2003	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपकरण एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में निहित ३० प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित संस्तुतियों पर आधारित कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	तदैव

1	2	3	4	5
			कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० (पिकप) तथा रिपोर्ट वर्ष 1993-94 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	
109	द्वादश	2002-2003	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट विधान सभा वर्ष 1982-83, 83-84, 17-09-2003 92-93, 94-95, 95-96 विधान परिषद् तथा 1998-99 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सङ्क परिवहन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	16-09-2003
110	तेरहवां	2003-2004	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 03-08-2004 वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश जल निगम तथ रिपोर्ट वर्ष 2000-2001 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	

1	2	3	4	5
111	चौदहवां	2003-2004	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1998-99 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, रिपोर्ट वर्ष 2000-2001 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० (पिकप) तथा उ० प्र० राज्य सङ्क परिवहन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	तदैव
112	पन्द्रहवां	2003-2004 (कार्यान्वयन)	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपकम एवं निगम संयुक्त समिति (1989-90) के प्रथम प्रतिवेदन में निहित उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् (उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड) से सम्बन्धित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	03-08-2004
113	सोलहवां	2003-2004 (कार्यान्वयन)	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपकम एवं निगम संयुक्त समिति (1999-2000) के बाइसवें तथा 2000-2001 के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन में निहित उत्तर प्रदेश राज्य सङ्क परिवहन निगम से सम्बन्धित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	03-08-2004

1	2	3	4	5
114	सत्ररहवां	2003-2004	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1988-89 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० तथा रिपोर्ट वर्ष 1996-97 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० लघु उद्योग निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	02-03-2005
115	अट्ठारहवां	2003-2004	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1999-2000) के तेइसवें प्रतिवेदन में निहित उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० से सम्बन्धित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	तदैव
116	उन्नीसवां	2005-2006	(समिति 2004-2005 का गठन नहीं हुआ)	नियंत्रक- 28-07-2005 महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट विधान परिषद् वर्ष 1989-90 तथा 08-08-2005 1996-97 (वाणिज्यिक) में विधान सभा उल्लिखित उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।

1	2	3	4	5
117	बीसवां	2005-2006	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1996-97 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० राज्य सेतु निगम लि० तथा उ० प्र० वित्तीय निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	28-07-2005 विधान परिषद् 08-08-2005 विधान सभा
118	इक्कीसवां (कार्यान्वयन)	2005-2006	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1977-78 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1989-90) के द्वितीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	28-07-2005 विधान परिषद् 08-08-2005 विधान सभा
119	बाईसवां	2005-2006	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1996-97 तथा 2002-03 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० भूमि सुधार निगम लि० से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	09-12-2005

1	2	3	4	5
120	तेईसवां	2005-2006	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1982-83 तथा 1999-2000 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	09-12-2005
121	चौबीसवां	2005-2006	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1987-88 तथा 2000-2001 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० मत्स्य विकास निगम लि० से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	09-12-2005
122	पच्चीसवां (कार्यान्वयन)	2005-2006	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) के तेरहवें प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1986-87 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० वित्तीय निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर, तथा समिति (1999-2000) के इक्कीसवें प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की	09-12-2005

1	2	3	4	5
			रिपोर्ट 1991-92 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड में की गयी संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	
123	छब्बीसवां	2005-2006	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1999-2000 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० राज्य सङ्केत परिवहन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	16-05-2006
124	सत्ताइसवां (कार्यान्वयन)	2005-2006	उ० प्र० विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) के नवम् प्रतिवेदन में निहित उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् (उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड) से सम्बन्धित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	16-05-2006
125	अट्ठाइसवां	2006-2007	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० महिला कल्याण निगम लिमिटेड तथा रिपोर्ट 1997-98 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ० प्र० पुलिस आवास निगम लिं० से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	22-11-2006

1	2	3	4	5
126	उन्तीसवां	2006-2007	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1989-90 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् (उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड) से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	22-11-2006
127	तीसवां	2006-2007	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1978-79, 1979-80, 1981-82 तथा 1997-98 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0 प्र0 राज्य सङ्क संघरण से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	22-11-2006
128	इक्कत्तीसवां	2006-2007	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1988-89, (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् (उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड) से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	22-11-2006
129	बत्तीसवां	2006-2007	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1995-96 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	22-11-2006

1	2	3	4	5
130	तैतीसवां	2006-2007	भारत के नियंत्रक-	09-05-2007
			महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	
			वर्ष 1979-80, 1981-82	
			तथा 1987-88 (वाणिज्यिक)	
			में उल्लिखित उ० प्र० राज्य	
			विद्युत परिषद् (उ० प्र० पावर	
			कारपोरेशन लिमिटेड) से	
			सम्बन्धित प्रस्तरों पर	
			आधारित।	
			उत्तर प्रदेश पन्द्रहर्वी विधान सभा	
131	प्रथम	2007-2008	भारत के नियंत्रक-	10-3-2008
			महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	
			वर्ष 1993-94 (वाणिज्यिक)	
			में उल्लिखित उत्तर प्रदेश	
			राज्य सङ्क परिवहन निगम	
			से सम्बन्धित प्रस्तरों पर	
			आधारित।	
132	द्वितीय	2007-2008	भारत के नियंत्रक-	10-3-2008
			महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	
			वर्ष 2000-2001 तथा	
			2003-2004 (वाणिज्यिक) में	
			उल्लिखित उत्तर प्रदेश आवास	
			एवं विकास परिषद् से	
			सम्बन्धित प्रस्तरों पर	
			आधारित।	

1	2	3	4	5
133	तृतीय	2007-2008	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1994-1995, 1999-2000 एवं 2000-2001 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड तथा रिपोर्ट वर्ष 2002-2003 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	10-3-2008
134	चतुर्थ	2008-2009	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1999-2000 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	19-02-2009
135	पंचम्	2008-2009	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1995-1996, 2000-2001 एवं 2003-2004 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्र्यूबबेल कारपोरेशन लिमिटेड तथा रिपोर्ट वर्ष 1996-1997 एवं 2005-06 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	19-02-2009

1	2	3	4	5
136	छठा	2010-2011	भारत के नियंत्रक-	14-2-2011
			महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2001-2002, 2002-2003 एवं 2006-2007 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सङ्करण रिपोर्ट वर्ष 2004-2005 एवं 2006-2007 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	
137	सातवां	2010-2011	भारत के नियंत्रक-	14-02-2011
			महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1992-1993 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, रिपोर्ट वर्ष 1989-1990 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड तथा रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	

1	2	3	4	5
138	आठवां	2010-2011	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1998-1999, 1999-2000 एवं 2001- 2002 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम तथा रिपोर्ट वर्ष 2005-2006 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश इग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कम्पनी लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	08-08-2011
139	नवां	2010-2011	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम 08-08-2011 संयुक्त समिति (2002- 2003) के उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बन्धित अष्टम प्रतिवेदन में निहित संस्तुति का कार्यान्वयन आख्या पर आधारित।	
140	दसवां	2010-2011	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम 08-08-2011 संयुक्त समिति (1998- 1999) के सार्वजनिक निगमों को अधिक कार्यकुशल बनाने के सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन आख्या पर आधारित।	

1	2	3	4	5
141	स्थारहवां	2010-2011	भारत के नियंत्रक-	08-08-2011
			महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1994-1995 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, रिपोर्ट वर्ष 2001-2002 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड तथा रिपोर्ट वर्ष 1982-1983 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	
142	बारहवां	2010-2011	भारत के नियंत्रक-	08-08-2011
			महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2001-2002 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड एवं रिपोर्ट वर्ष 1997-1998 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित।	

1	2	3	4	5
143	प्रथम (कार्यान्वयन)	2012-2013	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1998-1999 तथा 1999-2000 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) के तेरहवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुति का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	05-03-2013
144	द्वितीय (कार्यान्वयन)	2012-2013	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1982-83 तथा 1987-1988 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य नलकूप निगम से सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-1998) के अष्टम प्रतिवेदन में निहित संस्तुति का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	05-03-2013
145	तृतीय (कार्यान्वयन)	2012-2013	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1979-1980, 1981-1982, 1985-1986, 1986-1987 एवं 1988-1989 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, से सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति वर्ष (2000-2001) के पच्चीसवां प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	05-03-2013

1	2	3	4	5
146	चतुर्थ (कार्यान्वयन)	2012-2013	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1996-1997 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम से सम्बन्धित सार्वजनिक उपकरण एवं निगम संयुक्त समिति (2008-2009) के पंचम प्रतिवेदन में निहित संस्तुति का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	05-03-2013
147	पंचम	2013-2014	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1991-1992 तथा 2008-2009 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	23-06-2014
148	षष्ठम्	2013-2014	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2003-2004 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश वन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	23-06-2014
149	सप्तम्	2013-2014	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2002-2003 तथा 2007-2008 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	23-06-2014

1	2	3	4	5
150	अष्टम्	2013-2014	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2005-2006 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	23-06-2014
151	नवम्	2013-2014	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1995-1996 तथा 2001-2002 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	23-06-2014
152	दशम्	2013-2014	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2005-2006 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	23-06-2014
153	एकादश	2013-2014	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2003-2004 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश दि- प्रदेशीय इण्डिस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड (पिकप) से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	23-06-2014

1	2	3	4	5
154	द्वादश	2013-2014	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2007-2008 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	23-06-2014
155	तेरहवां	2013-2014	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1998-1999 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश स्टेट एओ इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	09-03-2015
156	चौदहवां	2013-2014	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2008-2009 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	09-03-2015
157	पन्द्रहवां	2013-2014	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2001-2002 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	09-03-2015

1	2	3	4	5
158	सोलहवां (कार्यान्वयन)	2013-2014	भारत के महालेखापरीक्षक वर्ष (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम से सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) के बीसवां प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	नियंत्रक- 09-03-2015
159	सत्रहवां (कार्यान्वयन)	2013-2014	भारत के महालेखापरीक्षक वर्ष (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) के चौदहवां प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	नियंत्रक- 09-03-2015
160	अट्ठारहवां	2013-2014	भारत के महालेखापरीक्षक वर्ष (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	नियंत्रक- 09-03-2015

1	2	3	4	5
161	उन्नीसवां	2013-2014	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2002-2003 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश वन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	09-03-2015
162	वीसवां	2013-2014	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1986-1987 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	24-03-2015
163	इक्कीसवां	2013-2014	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2007-2008 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	24-03-2015
164	बाइसवां	2013-2014	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2001-2002 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	24-03-2015

1	2	3	4	5
165	तेहसवां (कार्यान्वयन)	2013-2014	भारत के महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1978-1979, 1979-1980, 1981-1982 तथा 1997-1998 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2006-2007 के तीसवां प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	नियन्त्रक- 24-03-2015
166	चौबीसवां	2013-2014	भारत के महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1997-1998 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिंग से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	नियन्त्रक- 24-03-2015
167	पच्चीसवां	2015-2016	भारत के महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2004-2005 तथा रिपोर्ट वर्ष 2010-2011 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	नियन्त्रक- 16-02-2016

1	2	3	4	5
168	छब्बीसवां	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2003-2004 एवं रिपोर्ट वर्ष 2004-2005 तथा रिपोर्ट वर्ष 2005-2006 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि। से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	16-02-2016
169	सत्ताइसवां	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2005-2006 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	16-02-2016
170	अठाइसवां	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2010-2011 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश वन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	16-02-2016
171	उन्तीसवां	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2004-2005 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	16-02-2016

1	2	3	4	5
172	तीसवां	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1983-1984 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	16-02-2016
173	इक्तीसवां (कार्यान्वयन)	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2000-2001 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश मत्य विकास निगम लि0 से सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) के चौबीसवां प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	16-02-2016
174	बत्तीसवां (कार्यान्वयन)	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1996-1997 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0 से सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) के सत्रहवां प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	16-02-2016

1	2	3	4	5
175	तैतीसवां	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2013-2014 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	16-02-2016
176	चौतीसवां	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1997-1998 तथा रिपोर्ट वर्ष 2000-2001 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	16-02-2016
177	पैतीसवां (कार्यान्वयन)	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1986-1987 तथा रिपोर्ट वर्ष 1994-1995 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 से सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) के प्रथम प्रतिवेदन में निहित संस्तुति का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	16-02-2016

1	2	3	4	5
178	छत्तीसगढ़	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2002-2003 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश चीनी निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तारों पर आधारित है।	23-08-2016
179	सैंतीसगढ़	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2009-2010 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बन्धित प्रस्तारों पर आधारित है।	23-08-2016
180	अड़तीसगढ़ (कार्यान्वयन)	2015-2016	समिति वर्ष 2002-2003 का पंचम प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1993-1994 तथा 1994-1995 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित तथा समिति वर्ष 2007-2008 का तृतीय प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2002-2003 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 से सम्बन्धित, समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	23-08-2016

1	2	3	4	5
181	उन्तालीसवां	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	23-08-2016
182	चालीसवां (कार्यान्वयन)	2015-2016	समिति वर्ष 2005-2006 का बाइसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1996-1997 तथा 2002-2003 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित एवं समिति वर्ष 2010-2011 का सातवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लि0 के प्रस्तरों पर आधारित है, में समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	23-08-2016
183	इकतालीसवां	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2011-2012 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पौवर कारपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	22-12-2016

1	2	3	4	5
184	बयालिसवां (कार्यान्वयन)	2015-2016	समिति वर्ष 2002-2003 का द्वादश प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1982-1983, 1983-1984, 1992-1993, 1994-1995, 1995-1996 तथा 1998-1999 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर की गयी संस्तुतियों पर आधारित कार्यान्वयन प्रतिवेदन।	22-12-2016
185	तैतालिसवां	2015-2016	भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2000-2001 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित पुलिस आवास निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	22-12-2016
186	चौवालिसवां	2015-2016	भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2012-2013 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश वन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	22-12-2016

1	2	3	4	5
187	पैंतालिसवां	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2013-14 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	22-12-2016
188	छियालिसवां	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1991-92 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सङ्क परिवहन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	22-12-2016
189	सैंतालिसवां	2015-2016	भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1988-89 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है।	22-12-2016